

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-वा.क.अधि./स्वमूल्यांकन/सी.आर./1389/2022 लखनऊ::दिनांक::अप्रैल 05, 2022

-:: परिपत्र ::-

समस्त सदस्य,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश की विभिन्न पीठों में कार्यरत न्यायिक एवं विभागीय सदस्य-गण की वर्ष 2021-2022 की वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित की जानी हैं। अतः समस्त सदस्य-गण वर्ष 2021-2022 (01-04-2021 से 31-03-2022) तक सम्पूर्ण अवधि अथवा सम्बन्धित पीठ कार्यालय/कार्यालयों में तैनाती की अवधि का "स्व-मूल्यांकन प्रपत्र" निर्धारित प्रारूप में {समस्त संलग्नकों तथा न्यायिक कार्य स्तर के मूल्यांकन हेतु संगत वर्ष में अधिकारी स्वयं के द्वारा लिखाए गए किन्हीं तीन निर्णयादेशों की प्रतियों सहित} विलम्बतम दिनांक 18-04-2022 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वांछित स्व-मूल्यांकन प्रपत्र उपरोक्तानुसार उल्लिखित समस्त संलग्नकों सहित न्यायिक सदस्य-गण द्वारा तीन सेट्स में तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त विभागीय सदस्य-गण द्वारा दो सेट्स में उपलब्ध कराया जाए।

समस्त सदस्य-गण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संगत वित्तीय वर्ष की सम्बन्धित कार्य अवधि में यथा स्थिति एकल पीठ, युगल पीठ अथवा पूर्ण पीठ में निस्तारित वादों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक रूप से निस्तारण मानक की गणना करते हुए गणना-शीट, स्व-मूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक सेट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाए।

पुनश्च न्यायिक सदस्य, उपरोक्त के अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा निर्धारित प्रारूप में भी स्व-मूल्यांकन प्रपत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।


संलग्नक:: उपरोक्तानुसार।

ह0 / 05-04-2022  
(जितेन्द्र कुमार सिंह),  
एच.जे.एस.  
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::संख्या-वा.क.अधि./स्वमूल्यांकन/सी.आर./1389/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक प्रविष्टि हेतु अपना स्व-मूल्यांकन प्रपत्र दिनांक 18-04-2022 तक प्रस्तुत करें।
- 2- प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक (मुन्सरिम)/वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3- वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय, लखनऊ को गार्ड फाइल हेतु।

  
निबन्धक,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।